

**कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।**

कार्यालय आदेश संख्या - 01/यो0ब0 (10) 2014 - 23

राँची-2, दिनांक- 9/5/19

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2019 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पलामू ब्याघ्र आरक्ष में घासस्थलों के विकास एवं रख-रखाव कार्यों हेतु दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**पलामू ब्याघ्र आरक्ष में 1 हे0 वनभूमि में घासस्थलों के विकास एवं रख-रखाव कार्यों हेतु कार्य दर (प्रति मानव दिवस 237.38)**

क्र0 सं0	कार्य-विवरणी	मानव दिवस (सं0)	मजदूरी (रू0)	सामग्री (रू0)	योग (4+5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) प्रथम वर्ष कार्य:- सर्वे एवं सीमांकन	3	712.14	—	712.14	—
2	झाड़ियों एवं वीड्स की कटाई-सफाई तथा जुताई के पश्चात् जड़ों/अन्य डेब्रिस का संग्रहण एवं जलाकर सफाई:-	7	1661.66	—	1661.66	<20% site occupation
	(i) विरल घनत्व की झाड़ियाँ/वीड्स आदि अथवा					
	(ii) कम घनत्व की झाड़ियाँ/वीड्स आदि अथवा	15	3560.70	—	3560.70	20-40% site occupation
	(iii) मध्यम घनत्व की झाड़ियाँ/वीड्स आदि अथवा	30	7121.40	—	7121.40	40-60% site occupation
	(iv) घनी झाड़ियाँ/वीड्स आदि	50	11869.00	—	11869.00	>60% site occupation
3	स्थल की ट्रेक्टर द्वारा जुताई न्यूनतम 12" गहराई तक एवं जड़ तथा खूंटों की निकासी	5	1186.90	4000.00	5186.90	औसत 8 घंटा प्रति हे0 @ 500/- प्रति घंटा
4	विविध व्यय, साइनेज आदि	—	—	1500.00	1500.00	—
	<b>योग -</b>	<b>110</b>	<b>26111.80</b>	<b>5500.00</b>	<b>31611.80</b>	
1	(ख) द्वितीय वर्ष कार्य:- वर्षा के पूर्व स्थल की ट्रेक्टर द्वारा जुताई 6" गहराई तक एवं खाद मिलाना एवं वीड्स निकालना	10	2373.80	2000.00	4373.80	औसत 4 घंटा प्रति हे0 @ 500/- प्रति घंटा
2	घास एवं उसके बीजों का संग्रहण/क्रय	—	—	10000.00	10000.00	—



3	घास/घास के बीजों का बालू या मिट्टी मिश्रण के साथ broadcasting /रोपण	15	3560.70	—	3560.70	
4	कंपोस्ट एवं गोबर खाद — 12 टन/हेक्टेयर	—	—	9000.00	9000.00	—
5	दो बार निकाई/पानी पटवन एवं सुरक्षा	40	9495.20	1000.00	10495.20	—
6	झाड़ी घेरान (10 चेन लंबाई हेतु)	60	14242.80	—	14242.80	प्रति हे0 औसत 10 चेन
	<b>योग —</b>	<b>125</b>	<b>29672.50</b>	<b>22000.00</b>	<b>51672.50</b>	
1	(ग) तृतीय वर्ष कार्य:— घास के मैदान का रख-रखाव, बीड कटाई/निकाई, कम्पोस्ट एवं गोबर खाद का उपयोग, बीजों का आवश्यकतानुसार रोपण/छिड़काव एवं सुरक्षा	35	8308.30	3500.00	11808.30	
	<b>कुल योग — (क+ख+ग)</b>	<b>270</b>	<b>64092.60</b>	<b>31000.00</b>	<b>95092.60</b>	

नोट:—(i) कार्य हेतु स्थलीय आवश्यकतानुसार स्थल विशिष्ट प्राक्कलन बनेगा, जिस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(ii) चूँकि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रारंभ हो चुका है, अतः इस वर्ष हेतु वर्षा ऋतु के प्रारंभ के पूर्व मात्र प्रथम जुताई करते हुए द्वितीय जुताई की 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी तथा इस वर्ष का कार्य अग्रिम-सह- समापन कार्य के नाम से जाना जाएगा।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि इस कार्य में कदापि रसायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(iv) औसतन 1 हे0 से 4 हे0 क्षेत्रफल तक के घास स्थल की स्थापना एक स्थल पर की जाय।

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदित कार्यदर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू होंगी एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

ह0/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 411 दिनांक— 9/5/19

प्रतिलिपि— :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्चिस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।